RAJYA SABHA

RAJYA SABHA

Thursday, the 16th March, 2000/26 Phalguna, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow the passing away of Shri J.S. Raju, a former Member of this House, at the age of 65, in the early morning of 15th March, 2000. Born at Thirumanthurai in Tamil Nadu, in November, 1935, Shri Raju was educated at Perambalur and Trichy. An agriculturist by profession, Shri Raju started his career as a teacher. He was associated with several social welfare organisations.

Shri Raju started his legislative career as a Member of the Tamil Nadu Legislative Assembly and was a Member in 1967 and re-elected again in 1971 and 1980. He represented the State of Tamil Nadu in the Rajya Sabha from July, 1989 to July, 1995. During his tenure, he took keen interest in the deliberations of the House. He had a number of publications to his credit.

We deeply mourn the passing away of Shri J.S. Raju.

I request the Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed soul.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the Members of the bereaved family our deep sense of sorrow and sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवा

* 301. श्री कपिल सिब्बल: † श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया है:

†सभा में यह प्रश्न श्री कपिल सिब्बल द्वारा पूछा गया।

- (ख) यदि हां, तो एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं की राज्य-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी है;
 - (ग) क्या यह संख्या गत एक दशक के दौरान कम हुई है या बढ़ी है; और
- (घ) क्या सरकार ने ऐसे बेरोजगार युवाओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो गत एक दशक में यह वार्षिक दर क्या रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सुचनाओं के आधार पर रोजगार कार्यालयों में शहरी क्षेत्रों से संबंधित रोजगार चाहने वालों (यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों) की संख्या संलग्न सूची में दर्शायी गयी है (नीचे देखए)। ज़िला-वार सूचना नहीं रखी जाती।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 1990 में 163.3 लाख थी जो दिसम्बर 1999 के अंत में बढ़ कर 180.5 लाख हो गई। 1990-99 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग एक प्रतिशत थी।

31.12.1999 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों की संख्या को दर्शाने वाली सूची

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(हजार में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1327.2	
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.4	
3.	असम	613.6	
4.	बिहार	1316.3	
5.	गोवा	33.5	
6.	गुजरात	456.4	
7.	हरियाणा	303.2	
8.	हिमाचल प्रदेश	113.4	
9.	जम्मू और कश्मीर	87.8	
10.	कर्नाटक	1071.5	
11.	केरल	860.6	

RAJYA SABHA

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(हजार में)
12.	मध्य प्रदेश	1255.6
13.	महाराष्ट्र	2164.9
14.	मणिपुर	220.8
15.	मेघालय	24.7
16.	मिजोरम	80.5
17.	नागालैण्ड	28.3
18.	उड़ीसा	323.1
19.	पंजाब	262.0
20.	राजस्थान	463.3
21.	सिक्किम	
22.	तमिलनाडु	2093.2
23.	त्रिपुरा	150.0
24.	उत्तर प्रदेश	1298.6
25.	पश्चिम बंगाल	2504.4
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	27.8
27.	चण्डीगढ़	92.8
28.	दादर और नगर हवेली	_
29.	दिल्ली	747.6
30.	दमन और दीप	4.1
31.	लक्षद्वीप	
_32.	पाण्डिचेरी	106.8
	योग	18047.5

टिप्पणी:-- * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

हो सकता है पूर्णाकों के कारण आंकड़े मेल न खाएं।

Unemployed youth in urban areas

†*301. SHRI KAPIL SIBAL:†† SHRI JANESHWAR MISRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

^{††}The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Sibal.

- (a) whether Government have made any assessment regarding the number of unemployed youth in the urban areas;
- (b) if so, what is the number of unemployed youth living in urban areas of the country, as per the information so collected, State-wise and district-wise;
 - (c) whether this number has increased or decreased during last decade; and
- (d) whether Government have made any assessment regarding annual rate of increase in the number of these unemployed youth and if so, what has been this annual rate in the last one decade?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

(a) to (d) As per the information received from State/Union Territory Governments, the number of job seekers (all of whom are not necessarily unemployed), belonging to the urban areas, registered with the Employment Exchanges in various States and Union Territories as on 31.12.1999 is as given in the Statement. District-wise information is not maintained.

The number of job seekers from the urban areas, which was of the order of 163.3 lakh in 1990, has gone up to 180.5 lakh at the end of December 1999. It may, therefore, be seen that average annual increase in the number of job seekers from urban area was of the order to 1.0% during the period 1990—99.

Statement

Number of IOB-Seekers belowing to Urban Areas on the Live Register of Employment Exchange as on 31.12.1999

	State/Union	Number in Thousands
	Territories	
1.	Andhra Pradesh	1327.2
2.	Arunachai Pradesh	15.4
3.	Assam	613.6
4.	Bihar	1316.3
5.	Goa	33.5
6.	Gujarat	456.4
7.	Haryana	303.2
8.	Himachal Pradesh	113.4
9.	Jammu & Kashmir	87.8
10.	Karnataka	1071.5

RAJYA SABHA

	State/Union	Number in	Number in Thousands	
	Territories			
11.	Kerala		860.6	
12.	Madhya Pradesh		1255.6	
13.	Maharashtra		2164.9	
14.	Manipur		220.8	
15.	Meghalaya		12.7	
16.	Mizoram		16.5	
17.	Nagaland		28.3	
18.	Orissa		323.1	
19.	Punjab		262 .0	
20.	Rajasthan		463.3	
21.	Sikkim			
22.	Tamil Nadu		2093.2	
23.	Tripura		150.0	
24.	Uttar Pradesh		1298.6	
25.	West Bengal		2504.4	
	Union Territories			
26.	Andaman & Nicobar Islands		27.8	
27.	Chandigarh		92.8	
*28.	Dadra & Nagar Haveli			
29.	Delhi		747.6	
30.	Damand & Diu		4.1	
31.	Lakshadweep		_	
32.	Pondicherry		106.8	
		TOTAL	18047.5	

Note:— *No Employment Exchange is functioning in this State.

Figures may not add up to total due to rounding off.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, I am extremely surprise because what the Government has done in this particular case it, it has given the figures of the numbers registered in the employment exchanges throughout the country. The question was, what was the Government assessment of the number of unemployed youth in the urban areas of this country. Now, obviously, you have not made any assessment. The Government should know this. Had I wanted the number registered in the employment exchanges, I would have formulated my question in that particular fashion. What are the figures that you give me? You said that the total number in the live registers, throughout

the States, as of 1999, is 1.80 crores and in 1990, it was 1.60 crores, of the total pupulation. You know very well that in a hundred-crore population, this figure that is registered in the employment exchange registers does not reflect the reality. Most people do not even know what an employment exchange registers is. What is it that you are trying to do? The Minister, at least, must help us. At least, tell the people of this country what the problem is. If you are going to duck the problem like this, how are we going to have a discussion in this House? So, kindly, first tell us whether you have made any assessment of the number of unemployed youth in the urban areas in this country, apart from what you have stated in you reply. Please clarify this.

डा. सत्यनारायण जिंट्याः माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि कुल रोजगार का परिदृश्य क्या है। इस बारे में जानकारी वह चाहते थे। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं सरकारी जानकारी का संकलन करने के लिए रोजगार कार्यालय है, यह एक मानक व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए काफी ऐवेन्यूज खुल गए है जैसे बैंकिंग, रेलवेज़ या केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाएं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भर्ती हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रखा हुआ है। इसलिए जहां से जो भी रोजगार की सूचनाएं आती हैं, रोजगार कार्यालय के माध्यम से लोगों को रोजगार हासिल करने का मौका मिलता है। इसलिए जो भी जानकारी हमारे पास है, जो राज्यवार जानकारी चाही गई है, उसका संकलन करके हमने वार्छित जानकारी प्रस्तुत कर दी है।

सभापित महोदय, सारी की सारी जानकारी का ऐसेस्मेंट करना निश्चित रूप से कठिन काम है। रोजगार कार्यालयों में जो जानकारी संकलित की गई है और जिसके बारे में विश्वसनीय रूप से कहा जा सकता है, वह जानकारी यहां पर दी गई है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I find it very strange because there are several organisations, including international organisations like the I.L.O. which will give you the projections as to what is happening in various parts of the world. For example, there is an I.L.O. figure which says that the total workforce in urban areas in 1991, in India, was 70 million, and in the year 2021, it would be 200 million. So, there will be a three-fold increase. Now, that is the total workforce. I want to know whether the Govenment of India is taking any steps, in the light of these projections, about the unemployment problem.

You know the pressure on land in rural areas. You know in cities like Patna and many other cities in the country people come from outside to work on a daily basis in the cities because they cannot possibly survive on the income from the rural areas. The Government must set up some kind of working group,

some kind of specialised agency to look at the projections, to see what the problems are, so that we can generate employment for the people in this country. Does the Government have any plans for that? Please clarify, Mr. Minister.

डा. सत्यनारायण जिट्या: सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं निश्चित रूप से उनको स्वीकार करने में किठनाई नहीं है। किन्तु इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं उनको रोजगार देने की दृष्टि से क्या करना चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो अधिसंख्य लोग हैं वह गांवों में काम खत्म हो जाने के बादे शहरों में आ जाते हैं। परन्तु जो लोग आते हैं वह अन-आर्गनाइण्ड सैक्टर के होते हैं, कोई स्किलनैस उनके पास नहीं होता है। उनके पास क्षमता कौशल नहीं होने के कारण निश्चित रूप से उनके लिए रोजगार का मौका कम होता है। इसलिए जो शहरी रोजगार की बात है तो शहरी रोजगार में सरकार की योजनाएं चलती होंगी। उन सरकारी योजनाओं में स्वर्ण-जयन्ती की जो योजना बनाई गई है उस आधार पर सारी योजनाओं को एकीकृत करके रोजगार देने का काम सरकार कर रही है और इस दृष्टि से शहरी क्षेत्र में रोजगार के जितने अवसर हो सकते हैं उसके लिए जरूरी यह है कि उनमें वह स्किलनैस आनी चाहिए, क्षमता-कौशल उसमें विकसित होना चाहिए और उस दृष्टि से भी श्रम मंत्रालय के माध्यम से हम प्रशिक्षण और बाकी योग्यता पैदा करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं।

SHRI KAPIL SIBAL: Hon. Minister, I just want to place something before you. You are aware of the fact that even highly skilled persons, because of privatisation, globalisation and because of the fast movement of technology, become redundant for job. I know persons who do graduation in information technology,but by the time they pass out, the technology is so advanced that they are unfit for job. Not to speak of skilled areas; even in this sector, there is the problem of unemployment. So, what I want from you is, a specialised agency for assessment by the Government so that schemes can be formulated to redress the grievances of the people. This is all I want, and nothing more than that. Will you make that assessment?

श्री सत्यनारायण जटिया: आपका सुझाव स्वीकार है और इस प्रकार के सर्वे करने का काम समय-समय पर एन.एस.एस. के द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से आपके सुझाव को मान्य करके इस प्रकार की स्थिति को आकलन करने का काम किया जाएगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापित महोदय, जब से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरु हुई है तब से रोजगार का सृजन कम हुआ है। 1983 से 1990 तक के आंकड़े बतलाते हैं कि जहां रोजगार मृजन 2.40 सैकड़ा तक था वहां 1990 से 1998 तक के आंकड़े बतलाते हैं कि वह एक सैकड़ा था। यह सार्वजनिक क्षेत्र में भी हुआ है, निजी क्षेत्र में भी हुआ है और असंगठित क्षेत्र में भी हुआ है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि शहरों में जो पढ़े-लिखे नौजवान काम के लिए आते हैं, सरकारी क्षेत्र में भरती पर एक अघोषित प्रतिबंध जारी है, कोई भरती नहीं हो रही है चाहे रेल हो या अन्य कोई और विभाग हो। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश की गरीबी, बेरोजगारी तथा मन्दी की देखते हुए देश की नई उम्र के लोगों की भरती पर जो रोक सरकारी क्षेत्र में लगी है क्या सरकार उस प्रतिबंध को हटाएगी?

सभापित महोदय, मेरा "ख" पार्ट है कि जितने असंगठित क्षेत्र हैं या जो गैर सरकारी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आम तौर पर गांव का आदमी काम करने आता है। सरकारी क्षेत्रों में तो प्रतिबंध लग गया और गैर सरकारी क्षेत्रों में जहां समाज का दिलत, पिछड़ा, आदिवासी बसता है वहां पर कोई भी काम नहीं होता। मंत्री जी ने स्किल्ड लेबर की बात कही है। तो क्या उनको स्किल्ड बनाने की कोई योजना बनाएंगे? मेरी तीसरी बात, उसी में पार्ट-'ग' यह है कि समाज में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कई तरह के लोग हैं, मर्दी को आमतौर से जितनी मजदूरी दी जाती है उसके मुकाबले में महिलाओं को आधी मजदूरी दी जाती है और जहां पर बच्चे काम करते हैं उनको चौथाई मजदूरी दी जाती है। बाल श्रम पर हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन बाल अस हमारी आर्थिक मजबूरी का प्रतीक है और इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। गाहे-बगाहे हम लोगों ने मांग की है और सब लोगों ने मांग की है, जो लोग इस समय सत्ता में हैं इन लोगों ने भी मांग की है कि जो कोई भी 18 साल का हो जाए या बालिग मताधिकार हासिल कर ले संविधान बदलकर के उसको काम की गारंटी दी जाए। हम समझते हैं कि यह मांग नौजवान देशभर में जगह-जगह पर करते हैं। मैं मंत्री जो से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी?

डा. सत्यनारायण जिट्या: सभापित महोदय, माननीय सदस्य के विचार वास्तव में बहुआयामी हैं। उन्होंने वेतन रोजगार के बारे में पूछा है, उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजमदूरों के बारे में पूछा है, उन्होंने अनिस्कल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर बनाने के बारे में पूछा है, उन्होंने बाल श्रम के बारे में पूछा है और महिला श्रम को इक्वल रेमुनरेशन, समान वेतन देने के बारे में पूछा है। निश्चित रूप से रोजगार के अवसर तो सीमित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मोटेतौर पर जो नौकरियां हैं, उनको जितनी नौकरियां मिलनी चाहिएं वह सेचुरेशन पाइंट हो गया है। जहां तक सूचना प्रोद्योगिकी का मामला है, निर्माण के काम हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जो काम हैं, उनमें ये सह अवसर हैं। आपकी चिन्ता यह है कि जो लोग गांव से माइग्रेट होकर आते हैं, उनको रोजगार को दृष्टि से प्रशिक्षण देने की बात है तो निश्चित रूप से मेरे मंत्रालय में प्रशिक्षण की दृष्टि से जो लोग आयेंगे, जो अनिस्कल्ड लेबर हैं, उनके लिए रोजगर देने की दृष्टि से क्या होना चाहिए इस कार्यक्रम पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा कि जाननीय प्रधान मंत्री जी ने भी 15 अगस्त, 1998 को घोषित किया था कि वह देश में प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों के लिए रोजगर का सुजन करने का काम करेंगे। इसके बारे में एक समिति बनाई गई है। उस समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतिक्षा की

जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं इन सारे कामों को होने के बाद, इन सारी योजनाओं के क्रियान्वित होने के बाद रोजगार की समस्या कुछ न कुछ हल हो सकेगी। यह जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। उसके बारे में इस सदन को तय करना है कि उसके बारे में हम क्या उपाय करें।

श्री सनातन बिसि: सभापित महोदय, उड़ीसा की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। जो लोग गांव से शहरों में रोजगार के लिए आते हैं, उनके लिए जो पावर्टी इलीविएशन प्रोग्राम हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है मैचिंग ग्रांट करने के लिए। इसलिए जो लोग शहर में आ रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। आपने जो मेजर्स अपनी टास्क फोर्स के द्वारा किए हैं, उस टास्क फोर्स में क्या-क्या स्कीम्स हैं? जिस स्कीम में से इन सब चीजों को आप दे सकते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टास्क फोर्स के किन-किन सजेशन्स को आप इंपलीमैंट कर रहे हैं जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके।

डा. सत्यनारायण जिट्या: सभापित महोदय, यस्क फोर्स के अभी सब-ग्रुप्स बने हैं और उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। यस्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद जैसा कि आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट होकर आने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए क्या करना होगा, उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्या करना होगा तो जो लोग गांव से शहरों में आते हैं उनको तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। लेबर आरिएंटिड काम में श्रम की ही आवश्यकता होती है और ऐसे काम में कोई स्किल नहीं लगती है, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही उनकी जरूरत होती है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही उनकी जरूरत होती है, इन कामों के लिए इस प्रकार के मजदूर आते हैं और केवल वजन उठाने का काम करते हैं। यदि उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए तो उसके बाद वह मेसन का काम करना शुरू कर देंगे और इससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार के कामों में जिनमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वर्क प्लेस में ही उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार की योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री राषवजी: सभापित महोदय, यह शहरी रोजगार की समस्या बहुत विकराल है। वर्तमान में स्थिति और गम्भीर होती जा रही है। यहां तक िक जो फर्स्ट क्लास इंजीनियर हैं वह तीन-तीन साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, तीन-तीन हजार रुपये माहवार की नौकरी करने को तैया हैं। एमबीए पास लड़के नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मां-बाप अपना स्वयं का पेट काटकर, अपने खर्च कम करके उनको पढ़ाते हैं, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या आज की नहीं है, पिछले पांच वर्षों की नहीं है। 1990 में 1.63 करोड़ बेरोजगार थे, अब 1.80 करोड़ हो गये हैं। इसका मतलब है िक आजादी से लेकर अब तक जो नीतियां अपनायी हैं, उसमें रोजगार प्रदान करने की तरफ दुर्लक्ष्य किया गया है। मैं यह जानना चाहता हं

वास्तव में यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से कम और प्रधान मंत्री जी से ज्यादा संबंधित है कि जो एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना आपने घोषित की है उसके संबंध में क्या प्रगित है? दूसरा, जो लाइव स्टॉक रजिस्टर्स के आधार पर आप नौकरी देते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में एम्पलॉमेंट एक्सचेंज के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया?

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, माननीय सदस्य ने प्रश्न में चिंता व्यक्त की है कि जो लोग शिक्षित हो गये हैं, वह भी बेकार बैठे हैं। जिन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, वह बेरोजगार हो गये हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त की है, वह बेरोजगार हो गये हैं। उनकी चिंता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है - वास्तव में शिक्षा की पद्धति को जॉब ओरिऐंटिड होना चाहिए, यह मांग हमेशा रही है। जो व्यक्ति ऐजुकेटिड हो जाता है, निश्चित रूप से उसकी योग्यता बढ जाती है। स्नातक, स्नातकोत्तर आदि डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी अब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के आधार पर भी कछ लोग बेरोजगारी का शिकार होते होंगे क्योंकि वह तकनीक भी अपडेट हो गयी है। पहले लोग इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करते थे. सिविल इंजीनियरिंग पढते थे. इलैक्टीकल इंजीनियरिंग पढते थे. मकैनिकल इंजीनियरिंग पढते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में अधिक संभावनाएं हैं। तो वह दायरे बदलते जा रहे हैं। इस दृष्टि से ऐसे दायरों की अधिक संभावना है और जो लोग नयी-नयी शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं, उनके लिए अधिक अवसर हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो घोषणा की है, उसके संबंध में में बताना चाहंगा कि माननीय अहलवालिया जी की अध्यक्षता में मार्च, 1999 में टास्क फोर्स बनाया गया था और संभावना है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा। उनमें जो सब-ग्रुप बनाए गए थे, उसमें, उन्होंने जो चिंताएं व्यक्त की हैं, उन्हीं विषयों को लेकर बात की गयी है जिसमें लेबर फोर्स की ग्रोथ किस प्रकार से हो और श्रमांकलन तथा अनुमान रोजगार की आवश्यकता और अवसर के बारे में एक सब-ग्रुप बना था। दूसरा, सरकारी नीतियां जो कि रोजगार के संबंध में प्रभावित करती हैं, उस प्रकार का एक ग्रुप बना है। वोकेश्नल ट्रेनिंग का तीसरा एक ग्रुप बना है। इसके अतिरिक्त श्रम की सघनता के बारे में विचार करने के लिए एक ग्रुप बना है। इस प्रकार से इसमें जो विचार किया जा रहा है, उसमें इन सारी बातों को ऐनालीसिस करके ही विचार किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐनालीसिस के आ जाने के बाद जो लक्ष्य रखा गया है, उसको पुरा करने में कोई कसर नहीं रहेगी।

श्री राघवजी: मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है कि पिछले तीन सालों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है?

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने लोगों के नाम दर्ज होते हैं, वह सब के सब लोग बेरोजगार हों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो पढते-पढते अपना नाम दर्ज करा देते हैं जिससे उनकी सीनियाँरिटी बन जाए और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को, जिनको रोजगार की अपेक्षा होती है और जिनका रोजगार के लिए नाम दर्ज होता है, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिए समय-समय पर बात की जाती है। इसके अतिरिक्त जो पिछले तीन साल के आंकड़े माननीय सदस्य ने मांगे हैं, उसकी जानकारी मैं उन्हें दे दूंगा।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the hon. Labour Minister will kindly realise that the information he seeks to furnish to the House neither meets the need of the situation nor gives us the impression that the Ministry of Labour is alive to the magnitude of the staggering problem of unemployment. Since the Labour Ministry has no assessment whatsoever of the actual joblessness in the country, this is a serious weakness on its part. To give jobs is not the job of the Labour Ministry. That is the job of the Governmnt, the Finance Ministry and the Planning Ministry. I do not accuse him of non-performance on that front. However, the paucity of information with the Labour Ministry does not give an indication of the direction. This by itself is a grave failure. I hope the respected, hon. Prime Minister will kindly realise the limitation of information on the part of the nodal Department of his Government.

Sir, my specific question is: (a) whether the hon. Prime Minister, if he will kindly agree to reply, will accept that the problem of unemployment has aggravated in the recent period. I do not want to go into the reasons for this. It has aggravated in the recent period. This is part (a) of my question. Part (b) of my question is: Will the Government let us know the number of employed people who became unemployed because of losing their job in the public sector undertakings which are under the Central Government. I hope the hon. Prime Minister will kindly prefer to reply at least to part (a) of my question.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापित महोदय, इस वास्तिवकता से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेरोज़गारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, उनके कारण ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है कि उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनमें सफलता तो मिल रही है लेकिन उत्पादन में लगे हुए हाथ कम होते जा रहे हैं। नई टेक्नालॉजी के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है और इस पर सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने कहीं यह नारा देखा "Growth without jobs". विकास होगा मगर रोज़गार के अवसर नहीं होंगे तो लोग कहां जाएंगे? जो माल पैदा होगा, उसको कौन खरीदेगा? कितने लोग खरीदने की ताकन रखेंगे? लेकिन अब नई टेक्नालॉजी को भी हम

दरिकनार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रतियोगिता में ठहरना है और प्रतियोगिता में हम तभी ठहरेंगे जब समृद्धि बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और तभी रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। विचार तो यह था कि अगर एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा तो बड़े पैमाने पर इससे रोज़गारों का सृजन होगा। रोज़गार केवल सरकारी क्षेत्र में मिले या सरकारी दफ्तरों में मिले, यह तय करना तो बहुत मुश्किल है और इसे तय करना व्यावहारिक भी नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में ज़रूरत से ज्यादा लोग भरती किए गए थे इसिलए यह निर्णय करना पड़ा कि अगर बिना भरती किए हुए काम चल सकता है तो चलाने का प्रयास करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा कि नई भरती नहीं हुई मगर काम चल रहा है। कभी—कभी तो अधिक लोगों के कारण काम नहीं होता है। इसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। काम करना जिसे ''वर्क कल्चर'' कहते हैं, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है लेकिन ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो दूरगामी हैं, व्यापक हैं। मैं गुरुदास दासगुप्त जी से सहमत हूं कि इस बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या का सही आकलन करने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। यदि इसके लिए कोई एजेंसी बनाने की जरूरत हो तो वह भी बनाई जा सकती है। लेकिन तेज़ी से आर्थिक विकास के अलावा और कोई शॉर्ट कट नहीं है, और कोई छोटा रास्ता नहीं है जिससे हम रोज़गार का सृजन कर लें। तो जो बढ़ती बेरोज़गारी है, इसका कई मोर्चों पर हमें सामना करना पड़ेगा और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the second part of my question was to the hon. Labour Minister in regard to the assessment of joblessness because of displacements in the Central Government public sector undertakings.

डा. सत्यनारायण जटिया: इसके लिए यदि अलग प्रश्न हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा परन्तु यदि वे चाहेंगे तो इसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापित महोदय, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि बेरोजगारी निश्चत ही चिंता का विषय है जिसका कुछ उपाय किया जाना चाहिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस समस्या को देखते हुए उनके पास क्या वृहत् रोजगार एवं श्रम नीति बनाने की कोई योजना है? अगर है तो वह कब तक लागू की जाएगी और वह बोरोज़गारी की समस्या को दूर करने में कहां तक सहायक होगी? यह मेरे प्रश्न का 'अ' भाग है। महोदय, मेरे प्रश्न का 'ब' भाग यह है कि रोज़गार चाहने वालों की जो संख्या आपने दी है, इसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं और महिलाओं की संख्या कितनी है, यह भी मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

डा. सत्यनारायण जटिया: निश्चित रूप से इस प्रकार के विश्लेषण की जानकारी नहीं है किन्तु महिलाओं का रोजगार कार्यालय में दर्ज होने का अनुपात तीन और एक का है। पुरुषों का तीन भाग और महिलाओं का एक भाग है। महिलाओं को रोजगार कार्यालयों से जो रोजगार मिलता है उसका अनुपात चार और एक का है। इस प्रकार रोजगार पाने वाली महिलाओं का अनुपात चार और एक है। आपने श्रम नीति के बारे में कहा है निश्चित रूप से सेकेन्ड लेबर कमीशन के बारे में नीति बनाने की दृष्टि से कार्य करना शुरू हो गया और आगामी दो वर्षों में रिपोर्ट आने के बाद उससे कुछ अच्छे सार की बात निकलेगी तो निश्चित रूप से श्रम नीति बनाने का काम हो सकेगा।

†श्री जलालुदीन अंसारी: महोदय, जहां तक बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है, मुझे यह कहावत याद आती है कि 'ज्यों-ज्यों दवा की. मर्ज बढता ही गया'। अभी तक केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो योजनाएं चलाई उनसे बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं आई और यह संख्या बढ़ती चली ही गई। अभी हमारे साथी ने कहा कि असंगठित मजदरों के लिए यह सरकार क्या करना चाहती है? उनके लिए कौन सी योजना है, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार की गारन्टी के लिए कौन सी नई कारगर योजना बनाना चाहते हैं? दूसरी ओर कुशल मजदूरों की समस्या है। डिग्री होल्डर लोग भी बेरोजगार हैं, टेक्नीकल एज्युकेशन लेने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं। इसका कारण है सरकार की उदारीकरण की नीति और निजीकरण की नीति जो लोग रोजगार में हैं उनको भी रोजगार से अलग होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने गोल्डन हैन्ड शेक जैसी योजना बनाई है। स्वेच्छा से अपना पैसा लेकर अलग करे। यह तो एक अलग बात हुई लेकिन जो रोजगार के लिए तैयार हैं, कुशल हैं और अकुशल बेरोजगार जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनके लिए जैसा माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा वे कोई एजेंसी बनाना चाहते हैं। अभी तक कौन सी एजेंसी बनी हैं? जो बनी हैं वह उसको रोकने के लिए कारगर नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि वे कौन सी कारगर एजेंसी बनाना चाहते हैं ताकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा सके? इसके बगैर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी जानना चाहते हैं कि सुरसा की तरह बढती चली जा रही बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए वे कौन से ठोस कदम उठाना चाहते हैं?

श्री सत्यनारायण जटिया: सभापित जी, मैंने प्रारम्भ में ही बताया था जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी एक करोड़ रोजगारों का सृजन प्रति वर्ष किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेंगी, उनकी रिपोर्ट आएंगी और उसके बाद क्रियान्वित होंगी। कंस्ट्रक्शन के काम में जैसे मकान बनाने का काम है, सड़कें बनाने का काम है, बांध बनाने का काम है, गांवों में छोटे बांध बनाने का काम है, इनमें नए-नए लोगों को जोड़ा जाएगा।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, we are grateful to the hon. Prime Minister for the concerned expressed by him. The Prime Minister has rightly diagnosed the disease. But, as a doctor, he has to cure the disease also. We

[†]Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

share the concern expressed by him. What is happening today? Crores of students are coming out of universities, colleges and schools. They wait for years—four years, five years, etc.—without employment, whether it is in urban areas or in rural areas particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and the people who are living below the poverty line. In every caste there are poor people. The parents make them to study in the colleges thinking that one day they will be helpful to them. Practically, when they are without any employment for years, one day they become restless and depressed. Those people when they do not find any employment, they start getting misled by other people. There are militants, Naxalites and people who are from Dubai in this country. They recruit them. These people will join them because they do not find anything here. In these circumstances, we have to give a serious thought to this problem. What are we doing? What is our policy? I do not blame any Government, whether it is the Congress Government or the N.D.A. Government. What are they doing? In the name of globalisation, in the name of reforms, we are sending these people out. I entirely agree with the Prime Minsiter that this is a very serious matter. I would like to know whether we are going to effect any change in the policy. In the banking sector, these unemployed youths are not given sufficient funds to rehabilitate themselves. Even under the DRI scheme, one per cent of the total advances should be given to them

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am putting my question, Sir. It is less than that, it is not even one per cent, not even 0.05 per cent. They are not giving even half-a-per cent. Such is the attitude of the banking sector. I would like to know whether the Government is proposing to take steps to look into all these aspects, including the banking sector, and whether it will come forward with some proposal to direct the banking sector to give more funds to the unemployed youth.

डा. सत्यनारायण जिट्या: वास्तव में अब यह प्रश्न श्रम से बैंकिंग क्षेत्र में आ गया है और निश्चित रूप से जो सवाल हैं, उनके महत्वपूर्ण विचार निष्कर्ष रूप में सामने आए हैं। एक बात जरूर है कि एक सीमा तक रोजगार के बारे में, कारोबार के बारे में सरकार ही सोचा करती थी। अब इस विषय पर सरकार के साथ-साथ समाज को भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है। इन बदली हुई परिस्थितियों में जो हमारा श्रम बल है, जो सबसे बड़ी ताकत है, 350 मिलियन श्रम बल है, 35 करोड़ का श्रम बल है हमारे पास, उसे किस प्रकार से काम में लगाएं, इसके बारे में आपने जो चिंता व्यक्त की निश्चित रूप से उस चिंता में हम सब शामिल हैं और इस दृष्टि से एक

व्यापक कार्य योजना बनाने की शुरूआत हुई है, उसके परिणाम आने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारी बातें पैदा हो गईं। प्रारंभ में हमारे देश में जब हम विकास की दिशा बढ़ाना चाहते थे तो हमने नये—नये उद्योग धंधे, कारोबार स्थापित करने का काम किया और उस वक्त जो रोजगार के कार्यालय थे, ज़िला रोजगार दफ्तर हैं इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी ये रोजगार कार्यालय दिशा दर्शन का काम करते हैं और इसलिए इन सारी परिस्थितियों से, इनका आपने जिक्र किया, मार्गदर्शन लेते हुए आगे के लिए किस प्रकार रोजगार की योजना को बनाया जाए, इसका एक सर्वांगीण चित्र खड़ा करके उसमें से निश्चित दिशा निकालने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपके सुझाव से सहमत हूं।

श्री नरेश यादव: सभापित महोदय, मेरा प्रश्न श्रम मंत्री जी के लिए ही है और यह श्रिमकों के शोषण तथा सम्मान से जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में श्रिमक मजदूर शहरों में आते हैं क्योंकि शहरों में रोजगार है। क्या यहां उन्हें जो निर्धारित मजदूरी है, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित की है वह मजदूरी वे श्रीमक प्राप्त कर रहे हैं?

दूसरे, मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रम कोई अपमान का विषय नहीं है सम्मान का विषय है और बड़ी संख्या में जो मजदूर गांव से शहरों में आते हैं उन्हें यहां अपमान सहना पड़ता है और अपमानित होकर यहां जीना पड़ता है। इसलिए कम से कम आप ऐसी गारंटी जरूर दें कि श्रमिक, जो बड़ी संख्या में शहरों में काम के लिए आते हैं उनका शोषण नहीं हो और सम्मान की जिंदगी जी सकें।

डा. सत्यनारायण जिट्या: सभापित महोदय, शोषण के विरुद्ध उनको चिंता है, निश्चित रूप से हम सब को इसकी चिंता है। परन्तु जो उन्होंने न्यूनतम मज़दूरी की बात कही है, वह राज्य सरकारों के अधीन है, न्यूनतम मजदूरी वह तय करते हैं और न्यूनतम मजदूरी किस प्रकार से दी जाए, उसके लिए मिनिमम वेजेज़ एक्ट है। निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी के कानून का पालन राज्य सरकारों की सहायता से हो सकेगा। आपने कहा है कि गांव से मजदूर चल कर के आता है, उसका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिये। उसको रोजगार के किस प्रकार से अवसर मिल सकें, उसको कौन से कारोबार में जाना है, इस प्रकार का कोई निर्धारण या मार्गदर्शन हो सके, निश्चित रूप से इन बातों से आगे आने वाले समय में बहुत सहायता मिलने वाली है। आपकी चिंता इस प्रकार की है कि जो गांव से मजदूर आते हैं उनका सम्मान होना चाहिये। निश्चित रूप से श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम का सम्मान होगा तो देश का स्वाधिमान बढ़ेगा और आपने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है।

MR CHAIRMAN: Now, next question, 302....(Interruptions)...

†श्री मोहम्मद सलीय: अनइंपलायमेंट पर चर्चा नहीं होती है....(व्यवधान) इस पर डिसकशन होना चाहिये।...(व्यवधान) यह सरकार के खुद के आंकडे हैं।....(व्यवधान)

MR CHAIRMAN: No, no; हो गया (व्यवधान)

श्री नरेश यादव: सभापित महोदय, मजदूरों का सम्मान राज्य का विषय नहीं है, यह देश का विषय है। (व्यवधान)

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: जो लोग फालतू स्पीचेज़ करते हैं, उनको टाइम देते हैं...(व्यवधान)

सभापति: जो रिटायरिंग मैम्बर हैं, उनको मैंने टाइम दिया है और जो लाइकली आने वाले हैं उनको टाइम नहीं दिया।...(व्यवधान) Next question, 302....(Interruptions)....There are thirteen hon. Members who want to seek supplementaries. We have taken 35 minutes. If you want to have a discussion, you can have a discussion, but not today. Thirty- five minutes we have spent on this question...(Interruptions) हां, हां, वह ठीक है।

SHRI P.N. SIVA: The question is concerned with unemployment...(Interruptions)...

MR CHAIRMAN: Next question, 302 ...(Interruptions)...Not now...(Interruptions)...No, no; Question 302.

*302. [The Questioner (Shri Shibu Soren) was absent. For answer vide page 26 infra.]

SHRI P.N. SIVA: Sir, it is concerned with the unemployment problem. We should be given a chance...(Interruptions)...We should have a discussion on this...(Interruptions)...

SHRI MD. SALIM: We will not be satisfied with these figures...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You give notice for a Half-an-Hour Discussion...(Interruptions)...Question 303....(Interruptions)... Question 303

SHRI AMAR SINGH: Question No. 303...(Interruptions)...

SHRI P.N. SIVA: Sir, it is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: I know it is a very important thing..... (Interruptions)...Very important...(Interruptions)...But we have spent 35 minutes of the Question Hour, and I have tried to give a chance only to the retiring Members...(Interruptions)...Question 303....(Interruptions)...Question 303.

[†]Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

[16 March, 2000]

RAJYA SABHA

SHRI AMAR SINGH: Question 303...(Interruptions)...

श्री सभापति: जो रिटायरिंग मैम्बर हैं, उनको मैंने टाइम दिया है और जो लाइकली आने वाले हैं उनको टाइम नहीं दिया।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is the reason!...(Interruptions)...

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: The Chairman must give a directive for....(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I think the words used by Mr. Bhunder 'फालतू लोगों को देते हैं' are very derogatory words. He must withdraw those words.

SARDAR BALWINDER SINGH BHUNDAR: Sir, I withdraw the words.

MR. CHAIRMAN: मैम्बर कोई फालतू नहीं है। Everyone is honourable.

OBC Certificates to Children of Group A and B Officers

- *303 SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the children of Group A officers from O.B.C. are treated in the category of creamy layer and denied benefits of O.B.C. reservation;
- (b) whether Government are aware that the children of Group B officers and even of Assistants are not issued O.B.C. certificates on account of their salary income which exceed the limit of Rs. 1 lakh per annum;
- (c) if so, whether Government propose to issue instructions to the S.D.M. etc. to issue certificates to the wards of such persons holding the posts of Group B and down below; and
 - (d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING AND DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) to (d) A statement is placed on the Table of the House.

(a) and (b) Under the existing policy of reservation for OBCs, childran of Group "A' officers, of Group "B' Officers who get into Group "A' at the age of 40 years or earlier and of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or